



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

रायगढ़, दिनांक 10.09.2021

क्रमांक 2-1-2/406/अधिसूचना/2021/905

// आदेश //

छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र.17-49/2021/38-2 दिनांक 04.09.2021 द्वारा अनुमति एवं विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्र/2-1-2/406/सम्बद्धता/2021/863 दिनांक 07.09.2021 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर जगरानी देवी महाविद्यालय बाराद्वार जिला-जाजगीर-चांपा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से निम्नांकित विषय/पाठ्यक्रम हेतु सीट वृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अस्थायी संबद्धता प्रदान किया जाता है:-

क्रमांक	विषय/पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.लिब (नवीन पाठ्यक्रम)	30 सीट
02	पी.जी.डी.सी.ए. (सीट वृद्धि)	60 सीट
03	एम.एस.सी. (गणित) (सीट वृद्धि)	20 सीट

निर्धारित शर्तें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जावे
 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
 3. परिनियम 28 के प्रावधानानुसार संबंधित विषयों में शिक्षको की शीघ्र नियुक्ति की जाये।
 4. संबंधित विषय की अद्यतन पुस्तकें एवं उपकरण तत्काल क्रय किए जायें।
- उल्लेखित शर्तों का पालन कर प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को दिनांक 30.09.2021 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सीट वृद्धि संबंधी आदेश आगामी सत्र से स्वयं समाप्त मानी जायेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 10.09.2021

पृ. क्रमांक 2-1-2/406/अधिसूचना/2021/906

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. उप कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्राचार्य, जगरानी देवी महाविद्यालय बाराद्वार जिला-जाजगीर-चांपा (छ.ग.)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी (अका.)